 [30/3/2017]

परिशिष्ट - एक तारांकित - 7153

// कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजगढ //

क्रमांक / स्था01 / प.दो. / 244 / 2014 / 1897 /

राजगढ, दिनांक 24/03/15

:: कार्यालयीन–आदेश ::

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 11 सितम्बर 2008 द्वारा अध्यापक संवर्ग की पदोन्नति अनुसूची चार नियम–2(घ)तथा नियम 6, मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक–1–2/09/22/पं2/भोपाल एवं लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र कमांक/शि0क0/2011/76–77/भोपाल, दिनाक 21–02–2011 निहित प्रावधान अनुसार जिला स्तर पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा समुचित प्रकिया का निर्वाहन करते हुए वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर विषयवार चयन सूची में पात्र पाये गये निम्नांकित सहायक अध्यापकों को अध्यापक पद पर वेतनमान 4500–25000+1650 में कार्यभार ग्रहण करने की दिनाक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत कर उनके नाम के समक्ष कालम कमांक –05 में अंकित संस्था में पदस्थ किया जाता है ।

विषय :– उर्दु

क0	नाम सहायक अध्यापक	पदस्थ संस्था	जाति	पदांकित शाला का नाम
1.	श्री खबीर मोहम्मद गौरी	प्रा.वि.बा.करनवास	अनारक्षित	मा.वि.करनवास

शर्ते :–

1 उपरोक्त पदोन्नति इस शर्त पर की जाती है कि संबंधित वर्तमान में शास्ति के प्रभाव में न हो निलंबित न हों और उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हों तथा संबंधित द्वारा न्यूनतम सात वर्ष की सेवा पूर्ण की हों ।

2 अध्यापक के रिक्त पदों पर उपरोक्तानुसार सहायक अध्यापक संवर्ग से पदोन्नतियां मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11.06.2002 द्वारा जारी किए गए आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन करते हुए अनुशंसा के आधार पर की गई है ।

3 जिन सहायक अध्यापकों की पदोन्नतियां की गई है ,उन सहायक अध्यापकों के पदोन्नति आदेश मिलते ही मूल सेवा अभिलेख से अध्यापक पद के लिए संबंधित विषय में स्नातक उपाधि की अंकसूची एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता ,प्रथम नियुक्ति दिनांक ,वरिष्ठता दिनांक की पुष्टि होने के उपरांत ही पदोन्नत अध्यापक का आदेश प्राप्त होने से 10 दिवस में पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि अध्यापक द्वारा निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।

4 पदोन्नत सहायक अध्यापक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो उसे वरिष्ठ वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

5 पदोन्नति का परित्याग मामलों मे प्रथम पदोन्नति से इंकार करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्तियां उद्भूत होने तक जो भी पश्चावर्ती हो ,संबंधित सहायक अध्यापक का नाम पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

6 अध्यापक की वरिष्ठता आदेश का गणनाकम की पदोन्नत पद का वरिष्ठता कम रहेगा तथा पदोन्नति आदेश दिनांक ही कार्यभार ग्रहण करने पर वरिष्ठता दिनांक रहेगी ।

7 संबंधित संकुल प्राचार्य इस बात का ध्यान रखे कि संबंधित की पदोन्नति जिस संस्था में की गई है उस संस्था मे उस विषय का पद रिक्त है या नही अगर पद रिक्त नही है तो संबंधित को संस्था मे ज्वाईन नही करे। एंव लिखित मे इस कार्यालय को अवगत करावे।

Att. 11-08-16

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजगढ

23/3/17
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल

पृ0 क्रमांक / स्था01 / पदो. / 244 / 2014 / 1897 / राजगढ, दिनांक 27/03/15

प्रतिलिपिः—

- आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल ।
- आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल ।
- कलेक्टर महोदय, जिला राजगढ मध्यप्रदेश ।
- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग, भोपाल ।
- कोषालय / उपकोषालय अधिकारी .... ।
- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ।
- जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र जिला राजगढ ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .... ।
- आहरण संवितरण अधिकारी / प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0 / हाईस्कूल .... ।
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड ——————
- संस्थाप्रधान .... ।
- संबंधित श्री / श्रीमती / कुमारी ———————————————— की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत राजगढ

23.3.17

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल